संयुक्त परिवार में परिवर्तन एवं विघटन की प्रक्रिया

डॉ. अरुण कुमार*

परिवर्तन प्रकृति का नियम है तथा सामाजिक परिस्थितियाँ भी इस नियम का अपवाद नहीं हैं। सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर भी पड़ना स्वाभाविक है क्योंकि प्रत्येक सामाजिक संस्था समाज एवं काल की परिस्थितियों के अनुसार बनती–बिगड़ती है। मध्य युग में संयुक्त परिवार जिन परिस्थितियों के कारण पोषण तथा वृद्धि पा रहा था, वे सभी परिवर्तित हो चुकी हैं। उस समय सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता का नितांत अभाव था। सब लोग जमीन से जकड़े हुए थे तथा इस कारण से एक ही स्थान पर परिवार में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते थे परन्तु आज पाश्चात्य शिक्षा, औद्योगिक क्रान्ति तथा नगरीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तन हो चुका है, जिसका प्रभाव संयुक्त परिवार पर भी पड़ा है। प्रस्तुत शोध–पत्र वर्णनात्मक शोध–प्ररचना का आश्रय लेते हुए, द्वितीयक तथ्य आधारित अध्ययन है। इसमें ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए, परिवार संस्था के विभिन्न स्तरों में परिवर्तन अथवा विकास को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत लेख में विभिन्न विद्वानों के अध्ययनों के अतिरिक्त जनगणना सम्बन्धी आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है।

जी०एस० भट्ट ने परिवर्तनकारी कारकों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिन परिवर्तनकारी शक्तियों के कारण संयुक्त परिवार को संरचना में रूपान्तरण हुआ है, उन्हें तीन श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है– प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वे शक्तियाँ आती हैं जो औद्योगिकरण तथा पूँजीवादी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न हुई हैः दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत वे भावनात्मक शक्तियाँ आती हैं जो पश्चिमी पूँजीवादी व्यवस्था के सांस्कृतिक आदर्शों से उत्पन्न हुई है और जिन्हें भारत में परिवर्तित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में पनपने का अवसर मिला है : तीसरी श्रेणी में उन शक्तियों की गणना है, जिन्हें नई विधि प्रणाली ने जन्म दिया है।[1]

विघटन अथवा परिवर्तन के उपादानों में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रान्ति है, जिसके फलस्वरूप परिवार से बाहर कल–कारखानों में आजीविका के साधनों का विकास होने से, संयुक्त परिवार का विघटन तथा पृथक परिवारों का निर्माण होने लगता है। समाज में जब व्यापार और व्यवसाय की उन्नति होने लगती है और विभिन्न सदस्यों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के मौके मिलते रहते हैं तो परिवार का पुराना स्वरूप भंग होने लगता है। वर्तमान समय में पश्चिमी जगत् में परिवार क्रमशः छोटा हो रहा है।[2] भारत के शहरों में भी यही अवस्था उत्पन्न हो गयी है, अब आर्थिक–उत्पादन की इकाई कृषि युग की तरह परिवार नहीं रहा। बॉटोमोर की मान्यता है कि संयुक्त

*प्रवक्ता, समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, मॉट (मथुरा)

परिवार का विघटन केवल औद्योगिकरण से सम्बन्धित विभिन्न दशाओं का ही परिणाम नहीं है बल्कि इसका प्रमुख कारण यह है कि संयुक्त परिवार आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल सिद्ध हो चुके हैं।[3]

भारतीय शास्त्र यह कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणों वाला होता है। उसे अपने जीवन में माता, पिता एवं गुरु के ऋणों को चुकाना होता है तथा गृहपति का यह कर्तव्य होता है कि वह पंच महायज्ञ और अतिथियों की सेवा करे, शिष्य वर्ग का पालन करे, जबकि पश्चिमी विचारधारा में मनुष्य के कर्तव्यों से अधिक अधिकारों पर बल दिया जाता है। फ्रान्स की राज्यक्रान्ति को जन्म देने वाले वॉल्टेयर और रूसो आदि विचारकों ने एक स्वर से यह घोषणा की थी कि मनुष्य कुछ स्वत्वों के साथ उत्पन्न होता है, उनकी रक्षा होने चाहिए। संयुक्त परिवार में रहने के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान, आत्मानुशासन एवं परोपकार की भावनाऐं आवश्यक हैं परन्तु पश्चिम के प्रभाव से भारतीय आचार–व्यवहार भी व्यष्टिवादी भावनाओं से प्रभावित होता जा रहा है।

सर हेनरी मेन के अनुसार मिताक्षरा व्यवस्था से शासित हिन्दू परिवार रक्त सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों का एक कार्पोरेशन है, इसमें कोई वैयक्तिक अधिकार नहीं होता। परिवार कार्पोरेशन की तरह सनातन तथा अनश्वर होते हैं क्योंकि परिवार की परिवार के रूप में कभी मृत्यु नहीं होती, उसके पुराने सदस्य मरते हैं और नये पैदा होते हैं, किन्तु परिवार की सामूहिक सत्ता में अन्तर नहीं आता। परन्त ब्रिटिश अदालतों द्वारा दिये गये कुछ निर्णयों ने इस सामूहिकता को समाप्त करने में योग दिया। कानून द्वारा कर्ज चुकाने के लिए कर्ता को सम्पत्ति बेचने का अधिकार दे दिया गया। 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1929' द्वारा सर्वप्रथम उन व्यक्तियों को परिवार की सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किये गये, जो संयुक्त परिवार से पृथक् रहना चाहते थे। 'गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट, 1930' के द्वारा व्यक्ति की स्वयं अर्जित सम्पत्ति की सीमा को काफी विस्तृत कर दिया गया। इस प्रकार संयुक्त परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता खो रहा है। संयुक्त कुटुम्ब वर्तमान समय में न्यायालयों द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली व्यष्टिवादी प्रवृत्तियों का शिकार बन रहा है।[4] आयकर कानून ने भी संयुक्त परिवार के विघटन को बहुत प्रोत्साहित किया है किन्तु कई बार वर्तमान कानून संयुक्त परिवार को बनाये रखने में भी सहायक सिद्ध होता है। श्री आई.एस. गुलाटी ने अपनी पुस्तक 'दि अनडिवाइडेड हिन्दू फैमिली' में आँकड़ों से यह सिद्ध किया है कि धनी परिवारों को आर्थिक दृष्टि से संयुक्त बने रहने में बड़ा लाभ है, अतः ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ रही है। श्री गोलापचन्द शास्त्री सरकार संयुक्त परिवार पद्धति में विघटन का एक बड़ा कारण पाश्चात्य शिक्षा एवं उससे उत्पन्न स्वार्थान्धता को मानते हैं। उनके अनुसार, ''संयुक्त परिवार के व्यय से, शिक्षा पाने तथा संयुक्त परिवार का लाभ उठाने वाले अंग्रेजी पढ़े–लिखे, हिन्दू युवक इतने स्वार्थान्ध हो जाते हैं कि वे परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले हिन्दू

कानून से असंतुष्ट रहते हैं। .....किसी पेशे, व्यवसाय या नौकरी के कारण जब उन्हें किसी दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है तो वे अपनी स्त्री एवं बच्चों को संयुक्त परिवार में रखते हैं..... संयुक्त परिवार का लाभ उठाते हुए भी वे अपनी आय को संयुक्त परिवार में डालना नहीं चाहते।[5] यद्यपि स्वार्थान्धता विघटन का एकमात्र कारण नहीं क्योंकि कई बार शिक्षित व्यक्तियों के परिवार से विघटन का कारण यह भी होता है कि उन्हें परिवार के साथ आलसी एवं अकर्मण्य अन्य रिश्तेदारों का भी पालन करना पड़ता है, वे अपने बूढ़े माता–पिता एवं भाई–बहिनों को पालने के लिए तैयार हैं..... अपने धन को दुरूपयोग से बचाने का एक उपाय है कि वे संयुक्त परिवार से अलग हो जाये।''[6] अकर्मण्य के पोषण के अतिरिक्त, व्यक्तित्व के विकास में बाधकता, स्त्रियों की दुर्दशा तथा पारिवारिक विवाद आदि भी संयुक्त परिवार का आकार घटाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों को देखकर साधारणतः यह धारणा बनती है कि यह संस्था विघटन प्रक्रिया में है परन्तु समाजशास्त्रियों के अनुसार यह विघटन नहीं, वरन् परिवर्तन अथवा रूपान्तरण प्रक्रिया है। हेनरी ओरेंस्टीन[7] ने भी अपने शोध–पत्र में जनगणना के आँकड़ों के विश्लेषण द्वारा भारतीय परिवार में परिवर्तन सम्बन्धी अवधारणा का परीक्षण किया तथा पाया कि 1857 से 1951 तक की जनगणना में परिवार का औसत आकार घटा नहीं, वरन् थोड़ा सा बढ़ा ही है।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. जी०एस० भट्ट : 'भारत में समाजशास्त्र, प्रजाति और संस्कृति', पृ० 772
2. गोलापचन्द्र सरकार : 'हिन्दू लॉ', पृ० 242
3. मद्रास की जनगणना रिपोर्ट : 1931, पृ० 341
4. हेनरी ओरेंस्टीन : 'दि रिसेण्ट हिस्ट्री ऑफ दि एक्सटेंडेड फैमिली इन इण्डिया', 'सोशल प्रॉब्लम्स', 8 (4), 1961, पृ० 41–50
5. सैलिगमैन : 'प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स', दशम् संस्करण, 1929 पृ० 89
6. टी०बी० बॉटोमोर : 'सोसियोलॉजी : ए गाइड टु प्रॉब्लम्स एण्ड लिटरेचर', पृ० 177
7. राधाकमल मुखर्जी : 'प्रिंसिपल्स ऑफ कम्पैरेटिव इकनॉमिक्स', पृ० 27

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन–एक विश्लेषण

डॉ. के रतनम्*

पर्यटन की अवधारणा भारतीय दर्शन में प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। मानव विकास के साथ ही पर्यटन का स्वरूप एवं क्षेत्र परिवर्तित हुआ है। भारतीय आध्यात्म में भी सृष्टि रचना के समय भगवान शिव को पर्यटक की तरह प्रदर्शित किया गया है।[1] भारत के समसत ज्योतिर्लिन्गों की स्थापना से भगवान शिव की यात्रा स्थानों का पता चलता है।

अति प्राचीन काल में जब मानव भोजन तलाशता था तब भी एक पर्यटक ही था और बाद में विकास की ओर अग्रसित होने का कारण भी उसका भ्रमण ही था। भ्रमण के कारण ही वासकोडिगामा ने भारत में व्यापार की संभावनाओं का पता लगाया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज भी भ्रमण के कारण करी। वैदिक काल में शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए मनुष्य को यात्रा करनी पड़ी तथा मौर्यकाल में वाणिज्य एवं व्यापार हेतु यात्रा के कारण पर्यटन का स्वरूप परिवर्तित हुआ तथा गुप्तकाल में विदेशों में ज्ञान एवं वाणिज्य के लिए नये मार्गों के मिलने के उललेख से भी पर्यटन का ही पता चलता है।[2] प्राचीनकाल में भारत आने वाले अनेकों यात्रियों का उद्देश्य भारत दर्शन को जानना था तथा वह पर्यटन के ही अंतर्गत आते थे।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में पर्यटन की धारणा अतिप्राचीन है तथा समयानुसार इसमें भी परिवर्तन होता रहा है।

पर्यटन जिसे अंग्रेजी में टूरिज्म कहते हैं जो कि लेटिन भाषा के एक शब्द टर्नोज से लिया गया है, जोकि एक पहिये की तरह गोल आकृति की एक गोल पिन जैसा औजार है। अर्थात् टर्नोज नामक औजार की चक्राकार आकृति के सिद्धांत पर ही यात्रा चक्र या पैकेज टूर या एक मुश्त यात्रा के विचार का सृजन हुआ। आधुनिक पर्यटन का मुख्य आधार यही है। टर्नोज शब्द का प्रयोग लगभग 1643 ई. में विभिन्न राष्ट्र व क्षेत्र के स्थानों की यात्रा अथवा भ्रमण करने हेतु किया जाता रहा।

सर्वविदित है कि किसी भी नाम, वस्तु या स्थान की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विचारकों का एकमत होना लगभग असंभव ही है। अतः पर्यटन शब्द की उत्पत्ति के विषय में भी अनेकों मत एवं विचार है।

एक व्युत्पत्ति के अनुसार टूरिज्म शब्द के प्रारंभिक शब्द 'टूर' जो कि हिब्रू शब्द 'टोर्च' से लिया गया है तथा जिसका अर्थ 'यात्री का किसी विशेष स्थान पर जाकर खोज करना है' से ही टूरिज्म (पर्यटन) शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रत्येक पर्यटक किसी न किसी उद्देश्य या कारण से ही यात्रा प्रारंभ करता है अतः पर्यटक की यात्रा का प्रथम कारण उसकी मानसिक जिज्ञासा होती है। उसमें जिज्ञासा होती है

*प्राध्यापक (इतिहास), महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

कि उसने जिस स्थान विशेष के बारे में सुना है उसके विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। यह ज्ञान उसके रोजगार संबन्धी भी हो सकता है या शिक्षा लाभ, पर्यावरण व मनोरंजन के विषय या व्यवसाय में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा। इसी जिज्ञासा की शांति हेतु वह पर्यटन का सहारा लेता है।

पर्यटन एक ऐच्छिक क्रिया है, यह केवल समाज की आर्थिक बनावट ही नहीं अपितु सामाजिक स्तर व सांस्कृतिक गुणों की गहरी नींव को भी प्रभावित करता है मानव समाज के लिए पर्यटन अत्यंत लाभकारी व हितवर्धक सिद्ध हो सकता है। पर्यटन विकसित देशों के साथ–साथ विकासशील देशों में भी आय के प्रमुख साधन के रूप में सामने आया है। संस्कृत साहित्य में पर्यटन को तीन शब्दों में उपयोग कर विभाजित किया गया है–

पर्यटन इसका अर्थ – आराम एवं ज्ञान की प्राप्ति हेतु यात्रा।

देशाटन – आर्थिक लाभ हेतु मुख्यतः विदेशों में यात्रा।

तीर्थाटन – धार्मिक लाभों की प्राप्ति हेतु यात्रा।

आज के समय में पर्यटन केवल एक उद्योग मात्र न होकर अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय भी बन गया है इसलिए तो पर्यटन प्रबंधन संस्थान की स्थापना लगभग हर देश में हो चुकी है तथा विश्व स्तरीय इन संस्थानों में अध्ययन व शोध के पश्चात पर्यटक को परिभाषित किया गया कि अपने स्थायी निवास या स्थान से बाहर जाकर किसी अन्य स्थान पर 24 घण्टे या उससे अधिक समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति पर्यटक कहलाता है।[3]

1942 में स्विट्जरलैण्ड के प्रो. डब्ल्यू छुन्जिकर और प्रो. क्राफ्ट के अनुसार पर्यटन की परिभाषा – ''पर्यटन उन घटना व संबंधों का योग है जो किसी पर्यटक की यात्रा के दौरान उत्पन्न होते हैं। जिसके अंतर्गत व्यक्ति जिस स्थान पर ठहरता है वहाँ न तो वह स्थाई रूप से बसता है और न ही धन कमाने के लिए कोई कार्य करता है।''

उक्त संकल्पनात्मक परिभाषा पर्यटन के सैद्धांतिक रूप तथा इसकी मौलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। इसके अंतर्गत विदेशी पर्यटक तथा उसके पर्यटन के आर्थिक दिशा पर बल दिया है जो कि विकास के लिए अति आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से अध्ययन करने पर यह परिभाषा बहुत ही विस्तृत एवं संतोषजनक प्रतीत होती है। इसकी आलोचना का मुख्य कारण इसमें सामाजिकता के पहलू का अभाव है। परंतु उपरोक्त दी हुई परिभाषा को बाद में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विज्ञान विशेषज्ञ संघ (ए.आई.इ.एस.टी.) द्वारा मान्यता प्रदान की गई।

मानव के विकास में पर्यटन का अत्यधिक योगदान रहा है। पूर्वजों द्वारा पर्यटन की धारणा का विकास बहुत पहले ही हो चुका है ये पर्यटन धार्मिक, न्यापारिक, साहसिक एवं शिक्षा यात्रा से जुड़े होते है। इससे 3000 वर्ष पूर्व मिस्त्र में भी यात्रा करने को ही महत्व होते थे। 4000 वर्ष व पूर्व बेवीलोन के राजा खुल्गी द्वारा

व्यापारिक उद्देश्य से राजमार्गों के रख–रखाव की प्रवृति से व्यापारिक पर्यटन की शुरूआत हुई।[4]

दोमर की ओडिसी में प्राचीन यूनानियों की छोटी–छोटी नौकाओं से आस–पास के स्थानों की यात्रा का विवरण है तथा कई यूनानी दार्शनिक जैसे–पाइथागोरस प्लेटो, थेल्स आदि ने मिश्र की यात्रा की तथा अरस्तु ने कुछ एशियायी देशों की प्राचीन काल में भारत में धार्मिक व व्यापारिक यात्रा विशेष स्थान था। फिर ज्ञान की खोज हेतु शिक्षा यात्रा का भी विस्तार हुआ देश–विदेश की यात्रा लोग परेशानी होने के बावजूद की पूरी करते थे। भारत में अनेकों धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पर धार्मिक यात्रा का प्रचलन पूर्व से ही रहा है। **तंत्र चूड़ामणि** में 52 धर्म स्थानों का वर्णन है जबकि देवी भागवत में इन नामों की संख्या 108 दी गई है।[5]

भारत का कुंभ मेला इसी यात्रा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेसांग के द्वारा 629–645 ई. में भारत यात्रा की गई तथा मोहन जोदड़ों और सिन्धुघाटी में खुदाई से भारत के 3000 ई. पू. भी पश्चिम देशों से संपर्क का प्रमाण मिलता है।[6]

1325 ई. में इब्नबतूता ने अबर मैसोपोटामिया, एशिया माइन के देशों से होर समरकन्द के रास्ते 1333 ई. में भारत की यात्रा की तथा यहाँ वह आठ वर्ष रहा। उसके द्वारा मालद्वीप, लंका सुमाया, स्पेन तथा मोराक्को की भी यात्रा की गई थी।

भारतीय व्याख्या के अनुसार पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसमें यहाँ का प्रत्येक वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते है तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से कमाया गया धन प्रत्येक विकसित और विकासशील देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्त्रोत होता है। उदाहरण के तौर पर विश्व व्यापार मात्रा में 1.5 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में संख्या की दृष्टि से 401 प्रतिशत तथा आय की दृष्टि से 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विश्व में सफल उत्पादित माल में से 6 प्रतिशत पर्यटन द्वारा उत्पादित होता है जो विश्व व्यापार में एक सबसे बड़ा मद है बेल व्यवसाय के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है।[7]

भारत में सभी प्रकार के पर्यटनों को देखते हुए सांस्कृतिक पर्यटन विकास हेतु अधिकांशतः यूरोप व अमेरिका से आने वाले पर्यटकों की रूचि के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्कों विशेषज्ञों की सिफारिश द्वारा केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा पर्यटन महत्व के पुरातात्विक केन्द्रों के विकास हेतु निम्नलिखित 10 पुरातात्विक केन्द्रों का चयन किया गया –(1) एलीफेन्टा, अजंता–एलोरा की शैलकृत गुफाएं (2) चुनिंदा बौद्ध केन्द्र जैसे बोध गया, नालंदा, राजगिरी, सारनाथ कुशीनगर, श्रावस्ती तथा सांची, (3) आइजोल, बादामी, पट्टाकल, हम्पी तथा बीजापुर के स्मारक, (6) आगरा, फतेहपुर सीकरी, डींग तथा भरतपुर, (7) महाबलीपुरम्, (8) कश्मीर में मार्तेण्ड,

अतंतिपुर तथा पंडरेयन, (9) गौवा और (10) जैसलमेर। इस योजना के अंतर्गत इन स्थानों की सुरक्षा के लिए मास्टर प्लान भी बनाया गया।

जिज्ञासा पर्यटन का एक बहुत बड़ा कारण बन चुकी है। आजकल धार्मिक पर्यटन के साथ ऐतिहासिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है यह जिज्ञासा उच्च पढ़ाई के द्वारा प्रेरित होकर उत्पन्न हुई है तथा भारत में ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है बल्कि यह देश रहा ही इतिहासमय है। किन्तु यहां की ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों का पूर्णरूप से रख–रखाव नहीं हो पा रहा है किन्तु भारत सरकार द्वारा स्मारक संरक्षण के प्रयास शुरू हो चुके हैं तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारियां का एक दल गठित करने का भी प्रावधान है।[8]

भारत सरकार ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 संसद में पारित होने के पश्चात इस संबंध में 30 मार्च, 2010 को राजपत्र अधिसूचना सं. 13 जारी की है। इस अधिनियम द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में संशोधन किया गया है।

नए अधिनियम का उद्देश्य हमारी विरासत का परीक्षण तथासंरक्षण करना है तथा इससे सरकार की यह सुनिश्चित करने की दृढ़ इच्छा का पता चलता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के आस–पास के निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर सार्वजनिक परियोजनाओं सहित कोई निर्माण न किया जाए तथा भारतीय राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रख–रखाव हेतु यूनेस्कों की तरफ से जापान बैंक ऑफ इंटर नेशनल कॉर्पोरेशन से भी आर्थिक मदद दी गई है इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में अजन्ता, एलोरा तिलखेरा गुफाओं का संरक्षण और विकास हेतु जापान सरकार आर्थिक मदद देगी तथा मध्य प्रदेश में सांची सतपारा स्थित बौद्ध स्मारकों के संरक्षण के लिए पहले से ही जापान सरकार इस तरह की सहायता पहले से ही कर रही है।

आजकल के लोगों में साहित्य, कला, संगीत, लोकनृत्य, चित्रकला एवं विभिन्न संस्कृतियों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है।

भारत में भी राजस्थान की लोक कला, संस्कृति, असम व सिक्किम की संस्कृति, पंजाब की धूम, केरल की ग्रामीण संस्कृति प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है केरल में यहां के स्थानीय व्यंजन बनाना सिखया जाता है कुछ स्थानों पर पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ने की कला भी सिखई जाती है। यह सब विदेशी पर्यटकों जो काफी मात्रा में आकर्षित करते हैं तथा केरल की ही तरह संपूर्ण राज्यों को भी सांस्कृतिक पर्यटन के लिए प्रचुर मात्रा में प्रयास कर साधन निर्मित करना चाहिए।

सन्दर्भ :

1. नेगी, डॉ. जगमोहन–पर्यटन एवं यात्रा के सिद्धान्त, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992
2. चौपड़ा, सुनिता–टुअरिज्म डवलपमेंट इन इण्डिया, नई दिल्ली, 1992
3. भाटिया, ए.के.–टुअरिज्म डवलपमेंट प्रिंसिपल्स एण्ड प्रेक्टिसेंज, स्टर्लिंग पब्लिशिंग प्रा.लि., नई दिल्ली, 1986
4. मिल, राबर्ट क्रिस्टी – टुअरिज्म सिस्टम, न्यू जर्सी, 1992
5. तंत्र चूणामणि।
6. चीनी यात्री ह्वेसांग का यात्रा विवरण।
7. दी युनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेन्स ऑन इन्टरनेशनल टुअरिज्म एण्ड ट्रेवल, रोम 1963
8. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम संरक्षित स्मारक एवं संरक्षित क्षेत्र, 2010

INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS AND PUBLISHERS OF BOOKS

Two types of contributions are considered for publication :

Full Length Articles :

a. Manuscripts (in single) should be typed in pagemaker/word format in double-space, with wide margins, on one side only of good bond paper.

   Hindi Articles should be typed in Kruti Font. Hindi copy & Soft copy of the Articles are essential.

b. References must be typed in the following order. Initials and surname followed by name of journal, newspaper or book, name of publishers and place of publication, vol. no., year of publication and page no. for eg.

   S.B.L. SAXENA, SARAN SUDHA; (*KALA SIDDHANT OR PARAMPARA*), PRAKASH BOOK DEPOT, BAREILY (U.P.) 1990, P-18

c. Illustrations, Map and diagrams should be drawn with Jet Black ink on tracing paper of good quality, white art paper or card.

* Editorial Board & Subject experts reserve the right to condense or make necessary changes in the research papers.

* Responsibility regarding authenticity of the contents rests upon the authors and not upon the publisher.

* The last date of submission of next issue is 30th March 2014.

Book Reviews

* Two copies of each book submitted for review in NRJHSS must be sent to the Editor-in-chief, one to be kept in the office of the journal and the other, to be retained by the reviewer.

* Contributors can refer to 'MLA Handbook' Research Guide - 7th Edition to seek guidance in framing their paper.

Editor-in-Chief

EXECUTIVE MEMBERS/ SUBJECT EXPERTS

Dr. Anand Lakhatakiya, Bareilly College, Bareilly

Dr. Rakesh Verma, D.A.V. College, Dehradun

Mr. Bhuvendra Tyagi, Times Group, Mumbai

Dr. Ajay Saxena, D.A.V. College, Dehradun

Dr. Rakesh Kumar Singh, Kurukshetra University, Kurukshetra

Dr. Alok Bhawsar, Govt. Hamidiya Arts & Commerce College, Bhopal

Mrs. Neha Saxena, Dehradun

Dr. Rakhi Upadhyay, D.A.V. College, Dehradun

Dr. Kumar Vimal, Govt. Degree College, Bazpur, Udham Singh Nagar

Mrs. Kanchan Mainwal, D.A.V. College, Dehradun

Dr. A.C. Tripathi, Bareilly College, Bareilly

Dr. Puneet Saxena, D.A.V. College, Dehradun

Dr. N.B. Lal, Govt. Degree College, Manth, Mathura

Dr. H.S. Randhawa, D.A.V. College, Dehradun

Dr. Nidhi Kashyap, P.P.N. College, Kanpur

Dr. D.K. Shahi, D.A.V. College, Dehradun

Dr. Peeyush Misra, D.A.V. College, Dehradun

Dr. Ashok Mandola, Govt. College, Devprayag

Dr. P.K. Sharma, D.A.V. College Dehradun

Mr. Ranjan Kumar, New Delhi

Dr. Neeraj Gupta, Govt. Girls Degree College, Jhansi

Dr. Puneeta Srivastava, Govt. P.G. College, Bundi

Mrs. Krishna I. Patel, Ambaba Commerce College, Surat

Dr. Indira B. Shetkar, Sharnbasveshwar College, Gulbarga

Dr. Anupama Saxena, D.A.V. College, Dehradun

Dr. Onima Sharma, D.A.V. College, Dehradun

Mr. Devendra Rohila, Ministry of Textile (WSC) Mumbai

Dr. Amit Kumar Sharma, D.A.V. College, Dehradun